न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या एल.आर/90–A(9)/01/2016/भीलवाड़ा (2016/00106)

1. गफूर पुत्र स्व0 श्री नन्ने शाह, उम्र व्यस्क, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. नन्नी पुत्री स्व. श्री नन्ने शाह, उम्र व्यस्क, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. हसीना पुत्री स्व0 भी नन्ने शाह, उम्र व्यस्क, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4. सद्दीक पुत्र स्व0 श्री नन्ने शाह, उम्र व्यस्क, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
5. हमीद अली पुत्र स्व0 श्री नन्ने शाह, उम्र व्यस्क, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
6. सल्लु उर्फ इस्माईल पुत्र स्व0 श्री नन्ने शाह, उम्र व्यस्क निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
7. शमीम पुत्री स्व0 नन्ने शाह, उम्र व्यस्क, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
8. हसीना पत्नी स्व0 श्री फारूख पुत्र स्व0 श्री नन्ने शाह, उम्र व्यस्क, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
9. नसीम पुत्री स्व0 श्री फारूख पुत्र स्व0 श्री नन्ने शाह, उम्र व्यस्क निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
10. फरीदा बानो पुत्री श्री जमीला बानो धर्म पत्नी श्री कमरूद्दीन, उम्र व्यस्क, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
11. असलम पुत्र श्री जमीला बानों धर्म पत्नी श्री कमरूद्दीन, उम्र व्यस्क निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
12. रेहाना पुत्री जमीला बानों धर्म पत्नी श्री कमरूद्दीन उम्र व्यस्क निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।

———अपीलांट्स

बनाम

1. नगर विकास न्यास भीलवाड़ा जरिये सचिव, नगर विकास न्यास भीलवाड़ा।
2. लालाराम पुत्र श्री नन्दलाल माली, उम्र व्यस्क निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. गौतम पुत्र श्री मदनलाल बाबेल, उम्र व्यस्क निवासी शास्त्री नगर भीलवाड़ा।
4. भूपेन्द्र पुत्र श्री प्रताप सिंह चौधरी, उम्र व्यस्क निवासी शास्त्री नगर, भीलवाड़ा।

5. बुन्दोक उर्फ बुन्दोकी पत्नी श्री हनीफ मोहम्मद पुत्री स्व0 श्री बन्ने शाह, उम्र व्यस्क, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।

————रेस्पोन्डेन्ट्स

———

अपील विरूद्ध आदेश प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
दिनांक 04—04—2013 प्रकरण संख्या एस.एम/22/समर्पण/2013
अन्तर्गत धारा 90—ए (8) राज0 भू—राजस्व अधिनियम 1956

————

उपस्थित— श्री लेखू मंघानी, अभिभाषक अपीलांट्स
श्री इकबाल मोहम्मद, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5

निर्णय

दिनांक 28.12.17

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा ने दिनांक 04—04—2013 को आदेश पारित कर अपीलांट्स के खाते की राजस्व ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 5584 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 5585 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा के संबध में सुओ—मोटो राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 90 (ए)(8) के अन्तर्गत कार्यवाही में अपीलांट्स एवं रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 2 लगायत 5 की भूमि को राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 90 (ए) के तहत राज्य पक्ष में पुर्नग्रहित करने का आदेश प्रदान करते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी एवं न ही किसी प्रकार से सूचित किया गया और भवन निरीक्षक से मनमानी रिपोर्ट प्राप्त कर मौके पर उक्त वर्णित भूमि रिक्त पड़े रहने के उपरान्त भी इस संबंध में कृषि से अकृर्षि प्रयोजन हेतु उपयोग होना बताते हुए अपलाधीन आदेश पारित कर दिया। उसकी कोई सूचना अपीलांट को नहीं थी। उक्त आदेश की सूचना अपीलांट्रास को उस समय हुई जब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 ने सर्वप्रथम उसे बताया था कि उनके अभिभाषक कैलाश राव के द्वारा दिनांक 18—3—2014 को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 ने उक्त आदेश की जानकारी अपीलांट्स को दिनांक 4—10—2015 को दी तथा उक्त आदेश की जानकारी प्राप्त होते ही अपीलांट्स द्वारा नगर विकास न्यास भीलवाड़ा से नकल प्राप्त कर जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद यह अपील प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के उक्त आदेश दिनांक 04—04—2013 से असन्तुष्ट होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण को प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–4–2013 की जानकारी प्रारम्भ से ही नहीं थी और न ही इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कोई सूचना अप्रार्थीगण को दी गई। बिना सूचना दिये व अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त अवैध आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थीगण को सर्वप्रथम दिनांक 15–10–2015 को उक्त आदेश एवं पत्रावली की प्रतियां प्राप्त करने से हुई। प्रतिलिपियां प्राप्त कर बिना किसी विलम्ब के यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलांट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि राजस्व ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में राजस्व खाता संख्या 903 की आराजी खसरा नम्बर 5584 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 5585 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल 5 बीघा 1 बिस्वा के आधे हिस्से के खातेदार नन्ना पुत्र चिराग तथा 1/4 हिस्से के खातेदार लालाराम पुत्र श्री नन्दलाल तथा 1/8 हिस्से के खातेदार गौतम पुत्र मदनलाल एवं 1/8 हिस्से के हिस्सेदार भूपेन्द्र पुत्र श्री प्रताप सिंह खातेदार थे। नन्ना पुत्र चिराग की मृत्यु होने के बाद विरासत का नामान्तरकरण संख्या 6681 दिनांक 10–10–2012 को स्वीकार हुआ जिसमें मृतक नन्ना का आधा हिस्सा इनके वारिसान के नाम दर्ज किया गया। वारिसान अपीलांट्स संख्या 1 से 12 तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 बुन्दोक उर्फ बुन्दोकी पत्नी हनीफ मोहम्मद है तथा शेष सहखातेदार वर्तमान अपील में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3 व 4 है। इस भूमि पर पक्षकारों के मध्य विधिवत अभिलेखिय विभाजन नहीं हुआ है परन्तु मौके पर पक्षकार सहमति से अपने–अपने हिस्से पर काबिज है तथा अपने हिस्से की भूमि का उपयोग अकृषि कार्यो के लिए आज तक नहीं किया है। सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा पत्र क्रमांक 9836–88 दिनांक 20–11–2012 द्वारा विवादग्रस्त आराजियात के बारे में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियमकी धारा 90 (क) एवं राजस्थान नगरीय क्षैत्र (कृषि भूमि

प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए पटवार हलका पुर के भू–अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट चाही गई । रिपोर्ट के प्रपत्र के अन्त में अंकित किया गया कि ''मौके पर जानकारी करने पर जाहिर आया कि उक्त आराजियात में भूखण्ड कटे है व अकृषि उपयोग हो रहा है।''

उन्होंने यह भी कथन किया कि प्रपत्र के सभी कॉलम रिक्त है प्रपत्र/नोटशीट के अन्त में वर्णित किया है कि ''मौके पर जानकारी करने पर जाहिर आया कि उक्त आराजियात में भूखण्ड कटे है व अकृषि उपयोग हो रहा है।'' उक्त रिपोर्ट किन खसरा नम्बरान की की गई है यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जो आम सूचना दिनांक 20–12–2012 को जारी की गई है, पुर में 90–क का रकबा बहुत बड़ा है जिसमें अपीलांट्स के स्वामित्व वाली भूमि का भी उल्लेख है। उक्त रिपोर्ट से यह कतई स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलांट्स की स्वामित्व वाली भूमि पर भूखण्ड कटे हुए है तथा उक्त भूमि का गैर कृषि उपयोग हो रहा है। इस प्रकार अस्पष्ट एवं अपूर्ण रिपोर्ट पर धारा 90–क की कार्यवाही की गई है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि नगर विकास न्यास ने अपने पत्र क्रमांक11068 दिनांक 15–2–2013 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को पत्र लिखकर सूचित किया कि संलग्न सूचि में वर्णित उक्त खसरा नम्बरान की भूमि के खातेदारों द्वारा भूखण्ड बनाकर पंजीकृत/अप्रजीकृत दस्तावेजों से बेचान कर दिया है। यह गैर कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 17–6–1999 से पूर्व हुआ है तथा उक्त भूमि के खातेदारों एवं भूखण्ड धारियों के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के तहत सुओमोटों कार्यवाही की जावे। उक्त 90–क की कार्यवाही इतनी शीघ्रता से की गई जिसमें धारा 90–क के विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई। प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास भीलवाड़ा ने मूल खातेदारें को सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 58 से 62 तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 1 से 20 के अन्तर्गत पक्षकारों पर व्यक्तिगत नोटिसों की तामीली की प्रक्रिया दी गई है जिसमें उल्लेखित किया गया है कि नोटिस की तामीली व्यक्तिगत रूप से ही की जानी चाहिए। यदि इस प्रक्रिया से तामीली संभव नहीं है तो अन्त में पक्षकारों के नोटिस स्थानीय अखबार में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था है। प्रस्तुत प्रकरण में खातेदारों के नाम व्यक्तिगत रूप से नोटिस की तामीली नहीं हुई एवं सीधे अखबार में उसका प्रकाशन कराया है। अपीलांट्स ग्रामीण अंचल सेहोने तथा पढ़े लिखे नहीं होने से उक्त आम सूचना की जानकारी नहीं हो सकी। उक्त प्रश्नगत आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क (8) के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है एवं प्रारम्भ से ही शून्य है। अपीलांट्स अभिभाषक ने माननीय उच्चतम न्यायालय व विभिन्न उच्च न्यायालयों की नजीर आर.बी.जेस (14) 2002, सिविल अपील संख्या 4139/2006 सुरेश चन्द बनाम राजेन्द्र राजोक एवं आर.आर.डी. 1994 पृष्ठ 2017 अपील संख्या 16/87 सदाराम बनाम

त्रिलोकराम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इन दृष्टान्तों में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पर्याप्त एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित आदेश को विधिविरूद्ध एवं शून्य माना है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि प्राधिकृत अधिकारी ने तहसीलदार, भीलवाड़ा को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं उनकी रिपोर्ट प्राप्त किये बिना धारा 90–क का आदेश पारित कर दिया जबकि सुओमोटो के प्रकरण में सबंधित तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं राजस्व रेकार्ड की स्थिति महत्वपूर्ण है। प्राधिकृत अधिकारी ने केवल भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर विधिविरूद्ध आदेश दिनांक 4–4–2013 पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि अपीलांट्स के नाम की खातेदारी भूमि में भूखण्ड काटे गये है या उन पर मकान बने हुए है। अपीलांट्स के पिता नन्ना पुत्र चिराग ने अपनी खातेदारी भूमि का कभी भी विक्रय नहीं किया है। विवादग्रस्त आराजियातके खातेदार अपीलांट्स के पिता नन्ना पुत्र चिराग थे और इनकी मृत्यु पश्चात विरासत का नामान्तरकरण संख्या 6681 दिनांक 10–10–2012 स्वीकृत हुआ जिसमें सम्पूर्ण भूमि अपीलांट्स के पिता के नाम थी जो जमाबंदी सम्वत 2069–2072 में भी अपीलांट्स के नाम दर्ज की गई । इस जमाबंदी में किसी भी हस्तान्तरण का कोई उल्लेख नहीं है। राजस्व रेकार्ड में आज भी अपीलांट्स ही विवादग्रस्त आराजियात के खातेदार है और काबिज है। विवादग्रस्त आराजियात बाबत जो भी अपंजीकृत दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है वे फर्जी है। अचल सम्पत्ति का विक्रय केवल पंजीकृत दस्तावेज से ही हो सकता है। माननीय उच्च्तम न्यायालय की लार्जर बैंच ने आर.बी.जे (19) 2012 पृष्ठ 69 स्पेशल लिव पिटीशन नम्बर 13917/2009 सूरज लेम्प बनाम हरियाणा सरकार के प्रकरण में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण जरिये अपंजीकृत इकरारनामें के आधार पर किये गये हस्तान्तरण को पूर्णतः विधि विरूद्ध माना है। प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा ने धारा 90–क के आदेश के बाद अपीलांट्स के स्वामित्व/खातेदारी भूमि का नियमन इस अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर करने की जो कार्यवाही की गई है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास भीलवाड़ा ने धारा 90–क का आदेश दिनांक 4–4–2013 स्वप्रेरणा पारित आदेश अधिनियम की धारा 90–क–(8) के तहत पारित किया गया है। इन प्रावधानों के तहत दिनांक 17–6–1999 से पूर्व यदि भूमि पर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया है तो उन्हीं परिस्थितियों में ही स्वप्रेरणा से धारा 90–क की कार्यवाही किया जाना संभव है। पत्रावली में ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलांट्स के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि पर दिनांक 17–6–1999 से पूर्व का कोई अकृषि कार्य किया हुआ है। भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अस्पष्ट व

अपीलांट्स के स्वामित्व की भूमि के बारे में नहीं है। तहसीलदार, भीलवाड़ा की रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। स्वप्रेरणा से जो प्रकरण दर्ज होते है वे संबंधित तहसीलदार के द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 90–क की कार्यवाही अपीलकर्ताओं के विरूद्ध प्रारम्भ की है । तथा अखबार में जो नोटिस प्रकाशित कराया गया है एवं जो व्यक्तिगत नोटिस जारी किये गये है वे भी अपीलांट्स के नाम से ही है और जिससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि के स्वामी अपीलकर्ता ही है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व अपीलांट्स ही है और मौके पर अपीलांट्स का ही कब्जा है। ऐसी स्थिति में धरा 90–क–(8) के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रावधानों के तहत यदि प्रश्नगत भूमि पुर्नग्रहित की जाती है तो उक्त पुर्नग्रहित भूमि का नियमन भी अपीलांट्स के पक्ष में किया जायेगा जिनके विरूद्ध धारा 90–क (8) के प्रावधानों के तहत आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 04–04–2013 को निरस्त किया जाकर अपीलांट्स के हिस्से की भूमि जमाबंदी में पुनः अपीलांट्स की खातेदारी में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 ने बहस के दौरान तर्क दिया कि बुन्दोक उर्फ बुन्दोकी पत्नी हनीफ मोहम्मद है। शेष सहखातेदार वर्तमान अपील में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3 व 4 है। इस भूमि पर पक्षकारों के मध्य विधिवत अभिलेखिय विभाजन नहीं हुआ है परन्तु मौके पर पक्षकार सहमति से अपने–अपने हिस्से पर काबिज है और अपने हिस्से की भूमि का उपयोग अकृषि कार्यो के लिए आज तक नहीं किया है। प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–04–2013 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाकर विवादग्रस्त आराजियात पुनः खातेदारों के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावे।

मैंने दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की लिखित एवं मौखिक बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन कर संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि विवादग्रस्त आराजियात राजस्व ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 5584 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 5585 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा के संबध में सुओ–मोटो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 (ए)(8) के अन्तर्गत कार्यवाही में अपीलांट्स एवं रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 2 लगायत 5 की भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 (ए) के तहत राज्य पक्ष में पुर्नग्रहित करने का आदेश प्रदान करते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान कर दिये गये। प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास भीलवाड़ा की कार्यालय टिप्पणी पर तहसीलदार नगर विकास न्यास व पटवारी की चेक लिस्ट के समस्त कॉलमों की पूर्ति अपूर्ण प्रतीत होती है। उक्त टिप्पणी में यह भी अंकित है कि विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 5584, 5585 ग्राम पुर में पट्टा जारी नहीं होना प्रतीत होता है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समाचार पत्र में नोटिस साया करवाकर धारा

90–क (8) की कार्यवाही की गई है जबकि माननीय उच्चतम न्यायालयों ने अपने निर्णयों में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 58 से 62 तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 1 से 20 के अन्तर्गत पक्षकारों पर व्यक्तिगत नोटिसों की तामीली की प्रक्रिया दी गई है जिसमें उल्लेखित किया गया है कि नोटिस की तामीली पक्षकारों को निहित प्रक्रिया के तहत व्यक्तिगत रूप से ही की जानी चाहिए। यदि इस प्रक्रिया से तामीली संभव नहीं हो तो अन्त में पक्षकारों के नोटिस स्थानीय अखबार में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था है। प्रस्तुत प्रकरण में खातेदारों के नाम व्यक्तिगत रूप से नोटिस की तामीली नहीं हुई एवं सीधे अखबार में उसका प्रकाशन कराया है। अपीलांट्स को उक्त आम सूचना की जानकारी नहीं हो सकी। प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास ने अपीलांट्स को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार का नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर भूमि को राज्य पक्ष में पुर्नग्रहित करते हुए नगरविकास न्यास भीलवाड़ा के नाम दर्ज किये जाने का विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है जबकि प्राधिकृत अधिकारी को विवादग्रस्त आराजियात के विधिक पक्षकारों से मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा विवादग्रस्त आराजियात की मौके की स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार से लिया जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा पारित उक्त प्रश्नगत आदेश दिनांक 04–04–2013 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलांट्स की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–04–2013 प्रकरण संख्या /समर्पण/2013 एस.एम/22 अन्तर्गत धारा 90–क (8) राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 निरस्त किया जाकर प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तहसीलदार, से विवादग्रस्त आराजियात की मौका स्थिति की वर्तमान स्थिति की पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त करके एवं मूल खातेदारों की विधिवत जांच कर तथा उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत कार्यवाही करे। निर्णय की सूचना दोनों पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी दी जावे।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर